

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II
(स्वास्थ्य) से संबंधित है।

द हिन्दू

4 अगस्त, 2020

“व्यापक और एकीकृत शहरी नियोजन की अनुपस्थिति ने महामारी को और अधिक व्यापक बना दिया है।”

COVID-19 महामारी भारत के महानगरीय शहरों के लिए अभूतपूर्व चुनौतियों को लेकर आया है, जो स्व-शासन तक अपनी सीमित क्षमताओं को पुनः उजागर करता है। भारत के शीर्ष महानगरीय शहर - दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद - अब देश के COVID-19 के लगभग आधे मामलों का हिस्सा बन चुके हैं।

कोई शासन व्यवस्था नहीं

इस संकट की घड़ी में एक स्पष्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण कोण भी मौजूद है। 2018 में भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय जीडीपी का मात्र 1.28% था। विश्व बैंक के अनुसार, 2017 में भारत का स्वास्थ्य पर व्यय 62.4% था, जबकि वैश्विक औसत 18.2% था। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य क्षेत्र में जनशक्ति भारत के डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात यानी 1: 1,457 के साथ कम है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक 1: 1,000 से कम है।

एक असमान सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तारीफ करना एक बड़ा प्रशासन मुद्दा है। न केवल COVID-19 की प्रतिक्रिया पर बल्कि अन्य प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं और आकस्मिकताओं से संबंधित तैयारियों पर भी। शहरी प्रशासन में अंतर्निहित विशिष्ट प्रणालीगत कारकों में स्थानिक योजना, नगरपालिका क्षमता, सशक्त महापौर एवं परिषद तथा अंतर-एजेंसी समन्वय और वार्ड-स्तरीय नागरिक भागीदारी शामिल हैं। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लागू होने के 27 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये सुधार एजेंडा धीमी गति से ही जारी है।

मजबूत एकीकृत स्थानिक योजना का अभाव:- हमारा संविधान सभी महानगरीय क्षेत्रों में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटियों (एमपीसी) के गठन को 10 लाख से अधिक आबादी के साथ अनिवार्य करता है। एमपीसी पूरे महानगरीय क्षेत्र के लिए एकीकृत योजना सुनिश्चित करने पर कार्य करता है और स्थानीय अधिकारियों, राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को अपनाते हुए मसौदा विकास योजनाओं को तैयार करता है। हकीकत में, एमपीसी का गठन या तो नहीं किया गया है या यह दोषपूर्ण है। भारत के सिटी-सिस्टम्स (ASICS) 2017 की वार्षिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में पाया गया कि मूल्यांकन किए गए 18 शहरों में से केवल 9 ने एमपीसी का गठन किया था लेकिन सिर्फ कागज पर।

COVID-19 संकट में व्यापक एकीकृत योजना की अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। गरीब आवास, स्वच्छता और सार्थक सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच की कमी शहरी गरीबों को संकट की ओर ले जाता है। केवल मध्यम- दीर्घकालिक स्थानिक योजना जो अवसरों और सेवाओं तक समान पहुंच पर ध्यान केंद्रित करती है, ऐसी आपदाओं की पुनरावृत्ति से बच सकती है।

कमजोर नगरपालिका क्षमता:- भारत के महानगरीय शहरों में वित्त और कर्मचारियों की क्षमता कमजोर है। कुल व्यय के लिए बेंगलुरु का स्वयं का औसत प्रतिशत 47.9%, चेन्नई 30.5%, मुंबई 36.1% और कोलकाता 48.4% है। ASICS 2017 के अनुसार, 938 पर मुंबई में प्रति लाख जनसंख्या पर अधिकारियों की संख्या सबसे अधिक है। हालांकि, यह वैश्विक रूप से निम्न शहरों की तुलना में कम है, जोहान्सबर्ग जैसे 2,922 अधिकारियों और न्यूयॉर्क में 5,446 अधिकारियों की प्रति लाख जनसंख्या है।

COVID-19 बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं को वितरित करने और आपदाओं के प्रबंधन में नगर पालिकाओं की खराब क्षमता को फिर से उजागर करता है और स्वशासन के लिए नगरपालिकाओं की क्षमता को बढ़ाने की मांग करता है।

अधिकार की आवश्यकता

कमजोर महापौर तथा परिषद और शासन का विखंडन:- भारत के महानगरीय शहरों को चलाने वाले नेता बिना दांत वाले शेर के समान हैं। 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले किसी बड़े महानगरीय शहर में सीधे तौर पर निर्वाचित मेयर नहीं हैं। मुंबई के मेयर का कार्यकाल 2.5 वर्ष है, दिल्ली और बेंगलुरु में एक वर्ष का है। इसके अलावा, मेयर्स के पास ज्यादातर मामलों में नियोजन, आवास,

जल, पर्यावरण, आग और आपातकालीन सेवाओं के महत्वपूर्ण कार्यों पर पूर्ण निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है। हमारे महानगरीय शहर स्थानीय स्व-सरकार होने से बहुत दूर हैं। योजना, पानी और सार्वजनिक परिवहन के लिए पैरास्टैटल एजेंसियां सीधे राज्य सरकारों को रिपोर्ट करती हैं। राज्य सरकार सार्वजनिक कार्यों और पुलिस को भी काफी हद तक नियंत्रित करती है।

यह जरूरी है कि नागरिक शहर में कम से कम किस एक राजनीतिक प्राधिकरण को जिम्मेदार समझे, लेकिन वह मुख्यमंत्री या राज्य सरकार नहीं हो सकता है।

पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी:-नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाले संस्थागत मंच शहरी लोकतंत्र पर महत्वपूर्ण असर डालते हैं। किसी भी महानगर में कार्यात्मक वार्ड समितियां और क्षेत्र सभाएं नहीं हैं। वित्त और संचालन में खराब पारदर्शिता से नागरिक भागीदारी की अनुपस्थिति बिगड़ती जा रही है। जैके 2017 के अनुसार, पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी में भारत के बड़े महानगरीय शहरों का औसत स्कोर 3.04/10 है।

विकेंद्रीकृत नागरिक भागीदारी मंच लाभार्थियों की पहचान करने में सहायता प्रदान करने, संपर्क अनुरेखण के लिए सह-चयन समुदायों, सुरक्षा सावधानियों को अपनाने, संगरोध को लागू करने, स्वयंसेवकों की भर्ती करने और महामारी से लड़ने के लिए नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग करने में महत्वपूर्ण हैं।

छोटे शहरों पर भी ध्यान देना

विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे शहरों के उभरने के बावजूद, भारत के शहरीकरण का अंतर्निहित चरित्र महानगरीय है, जिसमें नए शहर मौजूदा बड़े शहरों के आसपास हैं।

मैक्सिसे की एक रिपोर्ट के अनुसार, 54 महानगरीय शहरों और उनके भीतरी इलाकों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 40% हिस्सा है और 2025 तक, 69 महानगरीय शहर, उनके भीतरी इलाकों के साथ संयुक्त रूप से, 2012 से 2025 के बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधे से अधिक का उत्पादन करेंगे। इसके बावजूद, भारत को अभी भी कोऑपरेटिव मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर सक्रिय रूप से कलारी करना है।

COVID-19 मुख्य रूप से एक महानगरीय लड़ाई है; और इसकी व्यापकता और जटिलताओं के कारण यह कई चुनौतियों और अवसरों को पेश करता है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि भारत की स्थानिक विशेषता बड़े क्षेत्रों के अर्थव्यवस्था से परे छोटे शहरों के विकास को दर्शाती है। यह इंगित करता है कि जहाँ एक तरफ भारत की शहरी दृष्टि को अपने महानगरीय शहरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त हो सके, वहीं दूसरी तरफ इसे छोटे शहरों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

विश्व स्तर पर, महानगरीय शहरों को शासन में विखंडन को कम करने के लिए मजबूत तंत्र के साथ एक सीधे निर्वाचित नेता द्वारा संचालित किया जाता है। विकसित उदाहरणों में टोक्यो महानगरीय सरकार और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में हाल के प्रायोगिक मॉडल जैसे संयुक्त प्राधिकरण शामिल हैं। भारत को वैश्विक संदर्भों से संस्थागत डिजाइन से सिख लेना चाहिए।

COVID-19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ भविष्य में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं आदि के विभिन्न अन्य खतरों की एक झलक पेश करती हैं, जो भारतीय शहरों को और अधिक तनावग्रस्त करेंगी। यही उचित समय है जब केंद्र और राज्य सरकारें एक महानगरीय प्रशासन प्रतिमान की दिशा में प्रयास करें। पहले कदमों में शहर के मेयर का कार्यकाल पाँच साल करना चाहिए और शहरी सरकार द्वारा विकेंद्रीकृत वार्ड स्तरके शासन और अंतर-एजेंसी का समन्वय करना चाहिए। भारत को वर्तमान महामारी का उपयोग आत्मनिरीक्षण करने के अवसर के रूप में करना चाहिए और महानगरों के शासन में सुधार करने के तरीकों पर कार्य करना चाहिए।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. शहरी स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. 73 वें संविधान संसोधन अधिनियम, 1992 द्वारा नगरीय शासन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
2. भारत के सिटी-सिस्टम के वार्षिक की सर्वेक्षण रिपोर्ट-2017 (ASICS-2107) के अनुसार शहरी शासन की गुणवत्ता रैंकिंग में पुणे शीर्ष स्थान पर रहा।
3. स्थानीय प्रशासन संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लेखित राज्य सूचि का विषय है

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 2 (b) केवल 3
(c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements in the context of urban local governance -

1. The 73rd Constitution Amendment Act, 1992 gave constitutional status to the urban governance system.
2. Pune topped the Quality Ranking of Urban Governance as per the Survey Report-2017 (ASICS-2107) of India's annual system of city-systems.
3. Local administration is the subject of the state list mentioned in the 12th schedule of the constitution.

Which of the above statements is / are correct?

- (a) 2 only (b) 3 only
(c) 1 and 3 (d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. व्यापक और एकीकृत नियोजन की अनुपस्थिति ने Covid-19 को और अधिक व्यापक बना दिया है। ऐसे में अनियोजित शहरीकरण के कारण महानगरों में कौन-कौन सी चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं? स्पष्ट कीजिए। साथ ही साथ इनके समाधान हेतु उपाय भी सुझाइए।

Q. The absence of comprehensive and integrated planning has made Covid-19 more comprehensive. In such a situation, what challenges have arisen in metrocities due to unplanned urbanization? Explain. Also suggest measures for their solution.